बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक – 115/पार्ट/बामेती/2018/993 दिनांक– 22/07/2019

प्रेषक,

सुधीर कुमार, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद

विषय – नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल तथा आशुलिपिक–सह–लिपिक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल तथा आशुलिपिक–सह–लिपिक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने हेतु कुछ जिलों द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गई है। संविदा आधारित नियोजन से संबंधित मार्गदर्शन निम्नांकित है –

1. संविदा आधारित नियोजन हेतु निर्धारित मापदण्ड को पूर्णरूपेण अनुपालन की जाए।
2. जिस जिले में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार यदि पदवार अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उन जिलों द्वारा ऑपेन काउंसिलिंग कराकर संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करायी जाए।
3. संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तें के कंडिका 8 (ख) एवं 11 (ख) में अंकित है कि यह अधिमान्यता केवल बामेती/आत्मा/सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी प्राधिकार/अर्द्धसरकारी निगम/अर्द्धसरकारी बोर्ड में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अंकों में अधिमान्यता दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसी के आधार पर अनुभव पर अधिमान्यता प्रदान की जाएगी।
4. संविदा आधारित नियोजन के विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अनुपालन किया जाएगा साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा में प्राप्त डिग्री धारकों को मान्यता नहीं दी जाएगी।
5. स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती, नतनी हेतु 02 प्रतिशत एवं दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में पत्रांक

101/बामेती/2018/170 दिनांक 06.02.2019 के माध्यम से संसूचित कर दिया गया है।

संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु मांगी गई मागर्दशन अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में परियोजना निदेशक, आत्मा को उचित निदेश प्रदान करते हुए संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए।

विश्वासभाजन

(sd/-) 20.7.2019

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 115/पार्ट/बामेती/2018/993 दिनांक– 22/07/2019

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(sd/-) 20.7.2019

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

अनुसूची–1

संविदा आधारित नियोजन से संबंधित मार्गदर्शन

क्र0 सं0	जिला का नाम	मांगी गई मार्गदर्शन / सुझाव	मार्गदर्शन
1.	लखीसराय	लेखपाल के पद हेतु पैक्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय का अनुभव	पैक्स के अनुभव को छोड़कर बाकी सभी का अनुभव मान्य होगा।
2.	भोजपुर	पद रिक्त रहने के कारण सभी अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग कराने के संबंध में।	ऑपेन काउंसिलिंग कराया जाए।
3.	रोहतास	1. सहायक तकनीकी प्रबंधक के संविदा आधारित नियोजन में कार्यअनुभव प्रमाणपत्रों पर अंकों का निर्धारण किस प्रक्रिया एवं कैसे किया जाए। 2. BBA Agribusiness की डिग्री मान्य है या नहीं।	संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तें के कंडिका 8 (ख) के अनुसार की जाए। 2. व्यावसायिक शिक्षा में प्राप्त डिग्री धारकों को मान्यता नहीं दी जाएगी
4.	कटिहार	लेखापाल पद के लिए प्रतिष्ठित निजी संस्थान के लिए अनुभव का अंक	संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तें के कंडिका 11 (ख) में अंकित है कि यह अधिमान्यता केवल बामेती / आत्मा / सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग / अर्द्धसरकारी प्राधिकार / अर्द्धसरकारी निगम / अर्द्धसरकारी बोर्ड में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अंकों में अधिमान्यता दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसी के आधार पर अनुभव पर अधिमान्यता प्रदान की जाएगी।
5.	समस्तीपुर	आत्मा योजना अंतर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल एवं आशुलिपिक–सह–लिपिक के काउंसिलिंग में आये योग्य अभ्यर्थियों की संख्या बहुत नगण्य है जिस कारण मेघा सूची बनाने में कठिनाई हो रही है। योग्य अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग कराने हेतु सभी आवेदित अभ्यर्थियों के बुलाना	ऑपेन काउंसिलिंग कराया जाए।

क्र0 सं0	जिला का नाम	मांगी गई मार्गदर्शन/सुझाव	मार्गदर्शन
		आवश्यक है।	
6.	सिवान	1. किसान सलाहकार/किसान मित्र के कार्य अनुभव के लिए अंकों में अधिमान्यता देने के संबंध में।	1. कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
		2. सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा नियोजित कर्मियों को कंपनी द्वारा निर्गत अनुभव के लिए अंकों में अधिमान्यता।	2. कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
		3. सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा नियोजित कर्मियों को विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के लिए अंकों में अधिमान्यता देने के संबंध में।	3. कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
		4. वैसे अनुभव प्रमाणपत्र जिनपर कार्यालय द्वारा पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं किया गया है के संबंध में।	4. विभाग के सक्षम प्राधिकार से जारी प्रमाणपत्र पर अनुभव का अंक दिया जा सकता है।
		5.प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई का कार्यानुभव।	5. कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
		6. क्षेत्र सलाहकार (उद्यान में सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित) के कार्य अनुभव के लिए अंकों में अधिमान्यता देने के संबंध में।	6. कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
		7. पैक्स द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाणपत्र (लेखापाल) के लिए अंकों में अधिमान्यता के संबंध में।	7. कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
		8. जीविका द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अंकों में अधिमान्यता के संबंध में।	8. कार्य अनुभव में अधिमान्यता दिया जाएगा।
		9. कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले एफ0पी0ओ0 एवं कंपनी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव (लेखापाल) के लिए अंकों में अधिमान्यता के संबंध में।	9. कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
		10. नेहरू युवा केन्द्र के कार्यानुभव (लेखापाल) के लिये अंकों में अधिमान्यता के संबंध में।	10. कार्य अनुभव में अधिमान्यता दिया जाएगा।

क्र0 सं0	जिला का नाम	मांगी गई मार्गदर्शन/सुझाव	मार्गदर्शन
		11. वाणिज्य स्नातक से पूर्व के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए अंकों में अधिमान्यता के संबंध में।	11. बामेती/ आत्मा/ सरकारी/ अर्द्धसरकारी विभाग/ अर्द्धसरकारी प्राधिकार/अर्द्धसरकारी निगम/ अर्द्धसरकारी बोर्ड में कार्य किए हैं तो उनको अनुभव का लाभ मिलेगा अन्यथा नहीं।
		12. सी0ओ0 द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के संबंध में।	12. जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा।
		13. बी0टी0एम0/ए0टी0एम0 पद हेतु इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज के तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को बी0एस0सी0 फिशरीज के समकक्ष अधिमान्यता देने के संबंध में।	14. इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज के तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को बी0एस0सी0 फिशरीज के समकक्ष अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
		14. बी0एस0सी0 गणित में स्नातक उत्तीर्ण एवं एम0बी0ए0 एग्री बिजनेश से स्नातकोत्तर की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को बी0एस0सी0 कृषि के समकक्ष अधिमान्यता देने के संबंध में।	14. कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।
7.	दरभंगा	1. आत्मा योजना अंतर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल तथा आशुलिपिक–सह–लिपिक के लिए अधिकतम उम्र सीमा की तिथि 01.01.2018 को निर्धारित है। इसके लिए Basic Qualification एवं Higher Qualification तथा अनुभव प्रमाणपत्र 01.01.2018 के पूर्व या विज्ञापन तिथि के पूर्व का मान्य होगा।	1. विज्ञापन के अंतिम तिथि तक मान्य होगी।
		2. आत्मा योजना अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है लेकिन न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होगी।	2. 01.01.2018 को न्यूनतम उम्र सीमा 21वर्ष निर्धारित है।

क्र0 सं0	जिला का नाम	मांगी गई मार्गदर्शन/सुझाव	मार्गदर्शन
		3. आत्मा योजना अंतर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये कुछ अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाय अथवा नहीं (अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)।	3. अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार से है – • आई0एफ0ए0डी0 परियोजना का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य है। • जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रदान की गई क्षेत्र सलाहाकार का अनुभव मान्य नहीं होगा। • जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, राँची, झारखंड द्वारा प्रदान की गई अनुभव मान्य होगा। • वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा प्रदान की गई अनुभव मान्य होगा। • भारतीय समृद्धि फाइनांस लि0 द्वारा प्रदान की गई अनुभव मान्य नहीं होगा। • किसान सलाहकार का अनुभव मान्य नहीं होगा। • जीविका का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य होगा • रिसर्च एसोसिएट का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य होगा। • एस0आर0एफ0 का अनुभव प्रमाणत्र मान्य होगा। • आर0ए0यू0 पूसा, समस्तीपुर द्वारा दिया अनुभव प्रमाणपत्र मान्य होगा। • एन0एफ0एस0एम0 में किए गए कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य होगा। • चार्टेड एकाउन्टेन्ट का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। • जल प्रगति संस्थान का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। • अक्षर विहार मधुबनी द्वारा प्रदत

क्र0 सं0	जिला का नाम	मांगी गई मार्गदर्शन/सुझाव	मार्गदर्शन
		4. कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाणपत्र अंचलाधिकारी द्वारा एवं आवासीय प्रमाण पत्र के स्थान पर आधार कार्ड, पहचान पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को समय दी जाए अथवा नहीं।	अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। • पैक्स का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। • सुधा लेवलस प्रा0 लि0 का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। • शांति निकेतन ग्राम उदय विकास संस्थान का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। 4. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा लेकिन आवासीय प्रमाणपत्र के स्थान पर आधार कार्ड, पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। इसके लिए अलग से समय प्रदान नहीं किया जा सकता है।
8.	औरंगाबाद	1. कुछ जिलों द्वारा सभी अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग के लिए बुलाया गया है जबकि कतिपय जिलों के द्वारा कोटिवार रिक्त पदों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इस प्रकार नियोजन में संशय की स्थिति बनी हुई है। 2. दिव्यांगों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता–पोती के लिए आरक्षण के बिन्दु पर कुछ निदेश नहीं दिया गया है। 3. कुछ जिलों द्वारा काउंसिलिंग में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची का अनुमोदन संबंधित जिला पदाधिकारी से कराया जा रहा है जबकि कुछ जिलों द्वारा अनुमोदन नहीं कराया जा रहा है।	1. ऑपेन काउंसिलिंग किया जाए। 2. पत्रांक 101/बामेती/2018/170 दिनांक 06.02.2019 के माध्यम से संसूचित कर दिया गया है। 3. ऑपेन काउंसिलिंग किया जाए।

क्र0 सं0	जिला का नाम	मांगी गई मार्गदर्शन/सुझाव	मार्गदर्शन
		4. ऐसा महसूस हो रहा है कि मार्क्स के आधार पर नियोजन के कार्यक्रम में कुछ अवांछित समूह फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नियोजन कराना चाह रहे हैं, जिन्हें दूर कर पाना असंभव प्रतीत हो रहा है।	4. चयन समिति के द्वारा कुछ अवांछित समूह फर्जी प्रमाणपत्रों के पकड़े जाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई करें।
		5. पूर्व से अनुमोदित आरक्षण रोस्टर के अनुसार नियोजन किया जाए अथवा प्रधान सचिव, कृषि के पत्रांक 170 दिनांक 06.02.2019 के द्वारा प्राप्त निदेश का अनुपालन किया जाए इस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा की जाए।	5. दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में पत्रांक 101/बामेती/2018/170 दिनांक 06.02.2019 का अनुपालन किया जाए।
		6. सहायक तकनीकी प्रबंधक के अनुभव में अधिमान्यता के संबंध में।	6. सहायक तकनीकी प्रबंधक के नियोजन में अनुभव नहीं मांगा गया है। इसलिए 8 ख के अनुसार 1 वर्ष के लिए 2 तथा इसी के अनुसार आगे अधिमान्यता दी जाए।
9.	गोपालगंज	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर Cutoff point के आधार पर Second District से लेकर Fifth Choice District के अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन देने का कष्ट किया जाए।	ऑपेन काउंसिलिंग किया जाए।
10.	पूर्णिया	1. आवेदकों के अनुभव वर्ष की गणना 01.01.2018 या आवेदन की प्रारंभिक तिथि 11.12.2018 या आवेदन की अंतिम तिथि 05.01.2019 तीनों में से किस पर की जाए।	1. अनुभव वर्ष की गणना विज्ञापन की अंतिम तिथि 05.01.2019 के पूर्व तक मान्य होगी।
		2. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बी0एस0सी0 (कृषि/सम्बद्ध) की अर्हता अगर 01.01.2018 के बाद पूरी होती है तो मान्य है अथवा नहीं।	2. विज्ञापन की अंतिम तिथि 05.01.2019 के पूर्व तक मान्य होगी।
		3. आवेदक अगर एम0एस0सी0	3. विज्ञापन की अंतिम तिथि 05.01.2019

क्र0 सं0	जिला का नाम	मांगी गई मार्गदर्शन / सुझाव	मार्गदर्शन
		01.01.2018 के बाद उत्तीर्ण हुए हैं तो उन्हें बोनस अंक दिया जाए अथवा नहीं।	के पूर्व तक मान्य होगी।
11.	मधुबनी	सहायक तकनीकी प्रबंधक के प्रतिक्षारत सूची में अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए स्नातक शैक्षणिक प्रमाणपत्र में विभाग द्वारा विज्ञापित शैक्षणिक योग्यता में भिन्नता पायी गई।	1. Sam Higginbottom institute of Agriculture, Technology & Sciences द्वारा B.Sc. (Hons) Animal Husbandry & Dairying एवं B.Sc. (Hons) Dairying की डिग्री वैध है।
12.	सीतामढ़ी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने के संबंध में।	विज्ञापन में वर्णित आरक्षण के अनुसार हीं आरक्षण प्रदान की जाए।
13.	नालंदा	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक हेतु इफको संचार लि0, सृष्टि फाउन्डेशन एवं जीविका आदि का प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शन के संबंध में।	• सृष्टि फाउन्डेशन का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। • इफको का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य होगा। • किसान कॉल सेन्टर का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य होगा। • इफको किसान संचार लि0 का अनुभव प्रमाणपत्र मान्य होगा।

Rupesh 22/07/19

(रूपेश कुमार लोहानी)
उप निदेशक (सूचना तकनीक),
बामेती, बिहार, पटना

शशिभूषण 22/07/19

(शशि भूषण कुमार विद्यार्थी)
उप निदेशक (प्रसार प्रबंधन)
बामेती, बिहार, पटना

22/07/19

(डा0 जितेन्द्र प्रसाद)
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना